मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/अति महत्वपूर्ण
संख्या-1219/30-4-2006-25 पी/77

प्रेषक,

श्री नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई, 2006

विषय- वाहनों पर लाल/नीली बत्ती तथा हूटर आदि के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वाहनों पर नियमों के विपरीत लाल/नीली बत्ती/हूटर लगाये जाने, वाहनों के सेफ्टी ग्लास पर फिल्म चिपकाये जाने तथा वाहनों पर बोर्ड्स/प्लेट्स लगाये जाने के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-3648 (एम0बी0)/2006 सुदर्शा अवस्थी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश, दिनांक 23 जून, 2006 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मोटरयान अधिनियम,1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 तथा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2- निदेशित हों कि लाल/नीली बत्ती/हूटर/सायरन आदि के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए परिवहन विभाग के तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाये। चूँकि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 20 जुलाई, 2006 से प्रभावी हो

.....2/-

जायेंगे, अतः उक्त तिथि के पश्चात् प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराकर पाक्षिक रिपोर्ट प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव।

संख्या - 1219 (1) / 30 - 4 - 2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से भी समुचित निर्देश जारी करें।

2- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से भी समुचित निर्देश जारी करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र भैनवाल)
प्रमुख सचिव।